कार्यालय आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
सह विशिष्ठ शासन सचिव
द्वितीय तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302017
Email : commissionerssarajasthan@gmail.com
फोन:– 0141–2703544 फैक्स:– 0141–2711056

डॉ. जोगाराम, IAS
आयुक्त

अर्द्धशासकीय पत्रांक : रा.स्कू.शि.प./प्रवेशोत्सव/18–19/3321
दिनांक : 10.07.2018

प्रिय PEEO,

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराना सरकार का दायित्व है। इस आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन/ठहराव सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

विद्यालय जाने योग्य बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश कराये जाने हेतु प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण दिनांक 03.07.2018 को समाप्त हो रहा है। मुझे आशा है कि स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान के पत्र क्रमांक : RCEE/JAI/PFE/प्रवेशोत्सव/2018–19/244 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देशों की अनुपालना में आपने प्रवेशोत्सव के दोनों चरणों में 0–18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर आयु अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों से जोड़ा होगा।

आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी ग्राम पंचायत के समस्त बालक/बालिकाओं का नामांकन कराकर ड्राप आउट फ्री उजियारी ग्राम पंचायत घोषित करवाने के लिये आवेदन करवायेंगे। इसके लिये आपको सरपंच, पंचायत सचिव व महिला पर्यवेक्षक (आईसीडीएस) के संयुक्त हस्ताक्षरों से आवेदन पत्र भरकर ग्राम सभा की मासिक बैठक में अनुमोदन करवाना है तथा यह आवेदन पत्र 20 जुलाई 2018 तक सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त 5 अगस्त तक सत्यापित रिपोर्ट जिला कलेक्टर एवं एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित की जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा आपके आवेदन पत्र का 20 अगस्त तक पुनर्सत्यापन किया जायेगा। जिला कलेक्टर पुनर्सत्यापित अभिशंषा सहित रिपोर्ट डीईओ (माध्यमिक) को प्रेषित करेंगे। जिसका अनुमोदन 30 अगस्त तक जिला निष्पादक समिति में करवाया जायेगा।

दिनांक 05.09.2018 को उजियारी पंचायत की घोषणा एवं आपका सम्मान किया जायेगा। ऐसी सभी पंचायतों को राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी ग्राम पंचायत को **उजियारी ग्राम पंचायत** के रूप में घोषित करने हेतु पूर्ण निष्ठा से प्रयास करेंगे एवं बालक/बालिकाओं के कल्याण तथा ग्राम विकास के इस पवित्र कार्य में स्वयं रूचि लेकर पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

भवन्निष्ठ

(डॉ. जोगाराम)

www.rajteachers.com

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
..................ग्राम पंचायत, राजस्थान

E/Sh. suresh/ms office/pfe/pfe letter 2018-19